

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No. G.O. 8581 / 2000 / विज्ञापित साफटवेयर इण्डस्ट्री दिनांक 28/6/2000

विज्ञापित

सर्व साधारण एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विज्ञापित संख्या GO-2164/37/ARN/1997, दिनांक 3.6.1997 सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा की जा रही सरलीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा जारी उद्यत विज्ञापित दिनांक 3.6.1997, जिसके द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया को ऐसे व्यक्तियों/इकाईयों के सम्बन्ध में सरलीकृत किया गया था जो उद्यत विज्ञापित में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं साथ ही उदाहरण के तौर पर 220 लघु इकाईयों की सूची भी संलग्न की गई थी।

उपरोक्त के क्रम में सर्व साधारण एवं सम्बन्धित व्यक्तियों की शंका को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि साफटवेयर इण्डस्ट्री यदि वे विज्ञापित दिनांक 3.6.1997 की शर्तों की अवहेलना नहीं करते हैं तो वे भी 220 लघु इकाईयों की गणति पूर्व में जारी विज्ञापित का लाभ पा सकेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि साफटवेयर इण्डस्ट्री जैसे लघु उद्योग भी शर्तों की अनुपालन की दशा में बोर्ड की विज्ञापित दिनांक 3.6.1997 की अनुसूची - 1 में सम्मिलित माने जायेंगे।

(डा० सी०एस० गहट)
सदस्य सदित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। / सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त नियंत्रक अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

Dr. J. K. Singh
Dr. J. K. Singh

Member-Secretary
U.P. Pollution Control Board